न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि0न0 – 74/2017

अनवान : –

1. बुधराम पुत्र नानूराम जाति बादी नि0 गांधीवड़ी त0 भादरा –फौत।
   1ए सरोज पुत्री बुधराम जाति बादी नि0 गांधीवड़ी त0 भादरा।
   1बी सिलोचना पुत्री बुधराम जाति बादी निवासी गांधीवड़ी त0 भादरा।
   1सी कमला पत्नी जगदीश प्रसाद जाति बादी निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
   1डी नंदलाल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति बादी निवासी गांधीवड़ी त0 भादरा।
   1ई सुखदेव पुत्र जगदीश प्रसाद जाति बादी निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
   1एफ ममता पुत्री जगदीश प्रसाद जाति बादी निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
2. सींगाराम पुत्र नानूराम जाति बादी निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
3. महेन्द्र पुत्र नानूराम जाति बादी निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
4. बालूराम पुत्र नानूराम जाति बादी निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
5. औमप्रकाश पुत्र नानूराम जाति बादी निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा। –फौत
   5ए शकुन्तला उर्फ सुमित्रा पत्नी औमप्रकाश जाति बादी नि0 गांधीबडी।
   5बी राकेश पुत्र औमप्रकाश जाति बादी नि0 गांधीबड़ी।
   5सी मंजू पुत्री औमप्रकाश जाति बादी नि0 गांधीबड़ी।
6. संजय पुत्र दीपचंद जाति बादी नि0 गांधीबड़ी त0 भादरा।
7. अजीतसिंह पुत्र दीपचंद जाति बादी नि0 गांधीबड़ी त0 भादरा। – **वादीगण**

बनाम

1. श्योलाल उर्फ श्योदयाल पुत्र मानाराम जाति बादी निवासी गांधीबडी तहसील भादरा। – **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री किशनलाल यादव **वादीगण**
श्री जगदीश प्रसाद महला प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 13/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 20 एएमएस के खाता सं0 186/175 के मु0न0 106 के किला न0 3 ता 9 की कुल 1.771है0 बारानी कृषि भूमि तथा चक 7 एसडीआर के खाता सं0 169/155 के मु0न0 92 के किला न0 23, 24, 25 की कुल 0.759 है0 प्रतिवादी श्योलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि गण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित वादीगण के दादा मानाराम के श्योलाल व नानूराम वादीगण के पिता, दो पुत्र थे। जिसमें गण के पित नानूराम का देहान्त हो गया। नानूराम के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी वली में बतौर पक्षकारान उपस्थित है। वाद भूमि श्योलाल व नानूराम दोनों की संयुक्त रमाये से पैदा की हुई कृषि भूमि थी। जिसे श्योलाल व नानूराम दोनों बराबर काश्त करते थे। वादीगण के पिता नानूराम के देहान्त 2005 में हो जाने पर प्रतिवादी श्योलाल कर्ता खानदान होने के कारण वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। लेकिन वाद भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद भूमि में वादीगण अपने हकों की घोषणा करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया।

साक्ष्यवादी में वादी महेन्द्र पुत्र नानूराम द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। जिसमें नकल जमाबन्दी 20 एएमएस प्रर्दश 1 जमाबंदी चक 7 एसडीआर प्रर्दश 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण के पिता नानूराम का देहान्त होने के बाद वाद भूमि को अकेले प्रतिवादी श्योलाल ने अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादीगण के साथ साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 20 एएमएस के खाता सं0 186/175 के मु0न0 106 के किला न0 3 ता 9 की कुल 1.771है0 बारानी कृषि भूमि तथा चक 7 एसडीआर के खाता सं0 169/155 के मु0न0 92 के किला न0 23, 24, 25 की कुल 0.759 है0 प्रतिवादी श्योलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। पत्रावली में प्रस्तुत जमांबदी में उक्त वाद भूमि श्योलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण ने अपनी पैतृक सम्पति के आधार पर उक्त वाद न्यायालय हाजा में पेश किया है। प्रस्तुत पत्रावली में वादीगण द्वारा किसी भी प्रकार ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादीगण ये साबित कर सके कि उक्त वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति है। वादीगण के कथन के मुताबिक कि उक्त वाद भूमि कर्ता खान–दान होने के कारण प्रतिवादी श्योलाल ने अपने नाम दर्ज करवा ली, के संबंध में ग्राम पंचायत अथवा तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामान्तरण पेश नहीं किया है जिससे ये साबित हो कि प्रतिवादी ने नानूराम के अन्य वारिसान को छोड़कर वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली हो। वादीगण ने उक्त वाद पैतृक सम्पति के आधार पर पेश किया है लेकिन पैतृक या सहदायिकी सम्पति के आधार पर दावा की पुष्टि के लिए कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचानुसार यह स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादीगण क्लीन हैड रो यालय में हाजिर नहीं हुए है तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन तथा अपूर्ण तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 की परिधि मे ना होकर तथा वर्णित प्रावधानों के विपरित होने से संपति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के अन्तर्गत प्रतित होता है। अतः वाद वादीगण अन्तर्गत ारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उपभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/2/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)